।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह परमार, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 2/11 तारीख रज्जू 25.02.2015

01– खुशीराम पुत्र श्री किशोरी उम्र करीब 50 साल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम उमरैण, तहसील व जिला अलवर –प्रार्थी

बनाम

01– किशन पुत्र गोकल उम्र करीब 80 साल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम उमरैण, तहसील व जिला अलवर (मृतक)

01/1– कैलाश पुत्र किशन उम्र करीब 50 साल जाति गुर्जर, निवासी ग्राम उमरैण, तहसील व जिला अलवर

01/2– मु० गंगा पुत्री किशन पत्नी लक्ष्मीनारायण, उम्र करीब 62 साल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम उमरैण, तहसील व जिला अलवर हाल निवासी कुशलपुरिया, तहसील मालाखेडा जिला अलवर

01/3– मु० घम्मन पुत्री किशन पत्नी जयराम, उम्र करीब 58 साल, हाल निवासी कुशलपुरिया, तहसील मालाखेडा जिला अलवर हाल निवासी कुशलपुरिया, तहसील मालाखेडा जिला अलवर।

वारिस काबिज जायदाद किशन पुत्र गोकल मृतक

01/4– लेखराम पुत्र मानसिंह पौत्र किशन, उम्र करीब 40 साल, जाति गुर्जर निवासी उमरैण तहसील व जिला अलवर।

01/5– मनोहर पुत्र मानसिंह पौत्र किशन उम्र करीब 38 साल जाति गुर्जर निवासी उमरैण तहसील व जिला अलवर।

01/6– कमल पुत्र मानसिंह पौत्र किशन उम्र करीब 38 साल, जाति गुर्जर निवासी उमरैण तहसील व जिला अलवर।

01/7– श्रीमती मीना पुत्री मानसिंह पौत्री किशन पत्नी सीतया, उम्र करीब 33 साल जाति गुर्जर निवासी उमरैण तहसील व जिला अलवर हाल निवासी गुर्जर खोहरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर

02– लक्ष्मण पुत्र श्री गोकल उम्र करीब 65 साल जाति गुर्जर निवासी उमरैण तहसील व जिला अलवर।

–असल अप्रार्थीगण

03– सुमन पत्नी श्री मनोहर लाल जाति गुर्जर निवासी उमरैण तहसील व जिला अलवर।

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

04– नवला पत्नी लेखराज जाति गुर्जर निवासी उमरैण तहसील व जिला अलवर।

05– सुनीता पत्नी श्री कमल सिंह जाति गुर्जर निवासी उमरैण तहसील व जिला अलवर।

06– छोटा पत्नी कैलाश जाति गुर्जर निवासी उमरैण तहसील व जिला अलवर।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 व आदेश 39 नियम 01–02 तथा सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

–: निर्णय :– दिनांक: 11.06.2019

वादी द्वारा एक दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 88, 188 के अन्तर्गत पेश किया है। दावे के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 2/11 दिनांक 25.02.2015 पेश किया है।

प्रार्थी ने ये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किये है। जिसमें प्रार्थी ने अंकित किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 835 रकबा 0.12 है०, 836 रकबा 0.02 है०, 837 रकबा 0.54 है०, 838 रकबा 0.53 है०, 853 रकबा 2.80 है०, 854 रकबा 0.01 है०, गैर मु० बोरिंग 855 रकबा 0.30 है०, 857 रकबा 0.18 है०, 858 रकबा 0.15 है० कुल किता 9 रकबा 4.65 है० वाके ग्राम उमैरण तहसील व जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थना पत्र में विवादित है। विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा कलावती पत्नी सुगन का था। जिससे विवादित आराजी खसरा नम्बर 853 रकबा 2.80 है० के 1/2 हिस्से में से 27/112 हिस्सा प्रार्थी ने क्रय किया था। इसी तरह कलावती से खसरा नम्बर 836, 937, 838, 854, 855, 857 व 858 किता 8 में से उसके 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण को प्रार्थी ने क्रय कर लिया था। खरीद के इन्तकालों का नोट जमाबन्दी पर लगा हुआ है। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 853 रकबा 2.80 है०, में से हिस्सा 27/112 दर 1/2 में से 3/4 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादनी संख्या 3 सुमन पत्नी मनोहर लाल गुर्जर को विक्रय कर दिया तथा आराजी खसरा नम्बर 854 रकबा 0.01 है०, 855 रकबा 0.30 है०, 838 रकबा 0.53 है०, किता 3 रकबा 0.84 है० में से अपने 1/2 हिस्सें में से 8/9 हिस्सा दर 1/2 हिस्से का बेचान तरतीबी प्रतिवादनी छोटा पत्नी कैलाश गुर्जर को कर दिया। उपरोक्त बेचान के बाद वर्तमान में प्रार्थी के हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 835, 836, 837 किता 3 रकबा 0.68 है० में से 0.34 है०, शेष आराजी बची हुई है। जिस पर वादी का

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

ब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसका वादी खातेदार काश्तकार है। पूर्व
ातेदार कलावती ने खसरा नम्बर 853 रकबा 2.80 है० में अपने 1/2 हिस्से में
हिस्सा 85/112 दर 1/2 मायादेवी पत्नी कैलाश गुर्जर को विक्रय किया
ा। इसके बाद मायादेवी ने अपना खरीदशुदा हिस्सा सम्पूर्ण तरतीबी प्रतिवादनी
ुमन पत्नी मनोहर लाल, नवला पत्नी लेखराम व सुनीता पत्नी कमल सिंह
ुर्जर को विक्रय कर दिया था। जो वर्तमान में खरीददारा अपनी खरीदशुदा
आराजी की काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी का आज तक कोई
विभाजन नही हुआ है। प्रार्थी, असल अप्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण का
सामलात में कब्जा चला आ रहा है। असल अप्रार्थीगण विवादित आराजी को
तकसीम कराये बिना आराजी में पुख्ता तामिर करवाना चाहते है एवं आराजी के
किस्म बदलने की कोशिश में है। प्रार्थी को शान्तिपूर्वक काश्त नही करने दे रहे
है लडाई झगडे पर उतारू है व प्रार्थी को नाहक तंग व परेशान कर रहे है।
प्रार्थी ने असल अप्रार्थीगण से आराजी का तकासमा कराने बाबत कहा परन्तु
उन्होने तकासमा कराने से इंकार कर दिया। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कई बार
संयुक्त खाते की आराजी के बटवारे बाबत कहा की अच्छी में से अच्छी व बुरी
में से बुरी आराजी का बटवारा कर लिया जावे परन्तु अप्रार्थीगण ने बटवारे से
इंकार कर दिया ओर धमकी दी की अच्छी आराजी पर कब्जा करेंगे मकान
बनायेगे निर्माण कार्य करेंगे। अप्रार्थीगण ने अपने उद्देश्य की पूर्ति बाबत
दिनांक 17.02.2015 को अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी में गड्डे खुदवाना शुरू कर
दिया ओर मुन्तकिल करने बाबत धमकी दी। शामलात में आराजी पर काबिज
रहकर काश्त करना मुमकिन नही है साथ ही अच्छी में से अच्छी व बुरी में से
बुरी आराजी प्राप्त कर अलग खाता व लगान कायम कराना चाहता है।
अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर नाजायज रूप से कब्जा कर कच्ची पक्की
तामीर करवाकर मौका को तबदिल करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थीगण ने
प्रार्थी को बेदखल कर दिया ओर अच्छी आराजी पर कब्जा कर अपने मकसद में
सफल हो गये तो प्रार्थी का अपूर्णिय क्षति होगी। इस कारण प्रार्थी, अप्रार्थीगण
को रहन, बय हिबे द्वारा बेचान करने बाबत पाबन्द करना चाहता है। प्रार्थी के
पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में
है प्रार्थी ताफैसला वाद वादगस्त आराजी पर अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी
हाल खसरा नम्बर 835 रकबा 0.12 है०, 836 रकबा 0.02 है०, 837 रकबा 0.54
है०, 838 रकबा 0.53 है०, 853 रकबा 2.80 है०, 854 रकबा 0.01 है०, गैर मु०
बोरिंग 855 रकबा 0.30 है०, 857 रकबा 0.18 है०, 858 रकबा 0.15 है० कुल
किता 9 रकबा 4.65 है० वाके ग्राम उमैरण तहसील व जिला अलवर के मुश्तर्का
कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत ना करे। जबरन बेदखल ना

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

रे तकसीम कराये बिना वादग्रस्त आराजी को किन्ही दीगर लोगों को रहन, द्वारा बेचान ना करे, कच्ची पक्की तामीर ना करे व उक्त आराजी का मौका बदिल ना करे एवं प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड की नकलात का अवलोकन करने पर एवं वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन करने एवं शपथपत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने पर दिनांक 25.02.2015 को अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से आराजी हाल खसरा नम्बर 835 रकबा 0.12 है०, 836 रकबा 0.02 है०, 837 रकबा 0.54 है०, 838 रकबा 0.53 है०, 853 रकबा 2.80 है०, 854 रकबा 0.01 है०, गैर मु० बोरिंग 855 रकबा 0.30 है०, 857 रकबा 0.18 है०, 858 रकबा 0.15 है० कुल किता 9 रकबा 4.65 है० वाके ग्राम उमैरण तहसील व जिला अलवर में किसी प्रकार की रूकावट, मजाहम ना करने व रहन बय हिबे नही करने तथा रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु आगामी तारीख तक पाबन्द किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया। जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थी ने आराजी खसरा नम्बरान जो खरीद करना बताया था वो समस्त आराजी जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा अप्रार्थीगणों को बेचान कर दी गई है। जिस पर अप्रार्थीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है प्रार्थी का खरीदशुदा आराजी से कोई सरोकार नही है। प्रार्थी खुशीराम ने आरजी खसरा नम्बर नम्बर 854 गैर मुमकिन बोरिंग 855 रकबा 0.30 है० चाही, व खसरा नम्बर 838 रकबा 0.53 है० ढहरी प्रथम किता 3 रकबा 0.84 है० भूमि वाके ग्राम उमैरण तहसील व जिला अलवर को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 29.08.2014 को अप्रार्थिया श्रीमती छोटा देवी पत्नी श्री कैलाश जाति गुर्जर निवासी उमरैण को अपना 1/2 हिस्सा 12 लाख 50 हजार रूपये में बेचाना कर दिया। जिस पर खरीददारा श्रीमति छोटा देवी काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है एवं खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार प्रार्थी खुशीराम ने आराजी खसरा नम्बर 853 रकबा 2.80 है० अज किस्म ढहरी प्रथम वाके ग्राम उमरैण तहसील अलवर को अपना हिस्सा 27/112 दर 1/2 हिस्से में से 3/4 हिस्सा को 7 लाख 50 हजार रूपये में श्रीमति सुमन पत्नी मनोहर लाल को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 29.08.2014 को बेचान कर दिया। जिस पर खरीददारा काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है एवं खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी खुशीराम ने वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 857

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

रकबा 0.18 है० व 858 रकबा 0.15 है० व 853 रकबा 2.80 है० वाके ग्राम उमरैण तहसील अलवर में आराजी खसरा नम्बर 858 रकबा 0.15 है० व 857 रकबा 0.18 में मेरा 1/2 हिस्सा है एवं आराजी खसरा नम्बर 853 रकबा 2.80 है० में मेरा 27/112 दर 1/2 हिस्सा है को जर्ये दस्तावेज इकरारनामा दिनांक 27.08.2014 को 20 लाख रूपये में कैलाश पुत्र किशन जाति गुर्जर निवासी उमरैण को बेचान कर दिया है। जिस पर खरीददार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है एवं खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने अपनी उपरोक्त समस्त आराजी बेचान के बाद शेष आराजी खसरा नम्बर 835 रकबा 0.12 है० 836 रकबा 0.02 है० 837 रकबा 0.54 है० किता 3 रकबा 0.68 है० में से 1/2 हिस्सा का काबिज खातेदार काश्तकार बताया है। प्रार्थी ने बिनायदायी व बिनायमुखास्मत दिनांक 17.02.2015 को होना बताया है, जबकि वादी ने अप्रार्थीगण से आज तक कभी भी बटवारे के लिये नही कहा। प्रार्थी मनमाने तरीके से बटवारा कराना चाहता है। जिसे मनमाने तरीके से तकसीम कराने का अधिकार नही है। चूँकि जब बिना बटवारा कराये प्रार्थी ने उक्त आराजीयात का बेचान कर दिया तब प्रार्थी को कोई परेशानी नही थी। आज जब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से मोटी रकम प्राप्त कर ली है एवं मनमाने तरीके से बची हुई शेष आराजी पर अच्छी से अच्छी आराजी प्राप्त करना चाहता है, जिसे उसे प्राप्त करने का अधिकार नही है। फिर भी अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में न्यायालय से निवेदन किया है की उक्त आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी अप्रार्थीगण को दी जाकर बटवारा कर दिया जावे तो अप्रार्थीगण को कोई एतराज नही है। प्रार्थी स्वच्छ हस्त से यह प्रार्थना पत्र लेकर नही आया है जिसमें प्रार्थी की बदनियति है एवं प्रार्थी के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करने की प्रार्थना की है।

वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के इन्ग्रीडियेंश 01–प्रथम दृष्टया केस 02– सुविधा का सन्तुलन 03– अपूर्णिय क्षति का हवाला देकर प्रार्थना पत्र में दर्ज विवरण को दोहराते हुए न्यायालय को निवेदन कर वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 835 रकबा 0.12 है०, 836 रकबा 0.02 है०, 837 रकबा 0.54 है०, 838 रकबा 0.53 है०, 853 रकबा 2.80 है०, 854 रकबा 0.01 है०, गैर मु० बोरिंग 855 रकबा 0.30 है०, 857 रकबा 0.18 है०, 858 रकबा 0.15 है० कुल किता 9 रकबा 4.65 है० वाके ग्राम उमैरण तहसील व जिला अलवर में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.02.2015 को ताफैसला वाद (Absolute) किये जाने की प्रार्थना की।

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

(V)

वकील अप्रार्थीगण ने न्यायालय को निवेदन किया की वादग्रस्त आराजी ल खसरा नम्बर 835 रकबा 0.12 है०, 836 रकबा 0.02 है०, 837 रकबा 0.54 ०, 838 रकबा 0.53 है०, 853 रकबा 2.80 है०, 854 रकबा 0.01 है०, गैर मु० रिंग 855 रकबा 0.30 है०, 857 रकबा 0.18 है०, 858 रकबा 0.15 है० कुल ता 9 रकबा 4.65 है० वाके ग्राम उमैरण तहसील व जिला अलवर में से धितकर आराजी प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा व करारनामा द्वारा बेचान की जा चुकी है। जिसके समर्थन में अप्रार्थीगण द्वारा जिस्टर्ड बयनामा दिनांक 29.08.2014 को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 838 कबा 0.53 है०, 854 रकबा 0.01 है०, गैर मु० बोरिंग 855 रकबा 0.30 है०, कुल किता 3 रकबा 0.84 है० वाके ग्राम उमैरण को 12,50,000/– रूपये में श्रीमती छोटा देवी धर्मपत्नि कैलाश को बेचान कर दी जिसकी फोटोप्रति पेश की है। रजिस्टर्ड बयनाम दिनांक 29.08.2014 को आराजी खसरा नम्बर 853 रकबा 2.80 है० आराजी को 7,50,000 रूपये में श्री सुमन धर्मपत्नी मनोहर लाल गुर्जर, उमरैण को बेचान कर दी जिसकी फोटोप्रति पेश की है एवं आराजी खसरा नम्बर 857, 858, 853 को जर्ये इकरारनामा दिनांक 27.08.2014 को 20,00,000/– रूपये में कैलाश पुत्र किशन गुर्जर उमरैण को बेचान कर दी जिसकी फोटोप्रति पेश की है। जिस पर अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है एवं काबिज खातेदार काश्तकार है। जब प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की आराजी का बेचान अप्रार्थीगण को किया था उस समय प्रार्थी को कोई परेशानी नही थी चूँकि प्रार्थी ने अपनी समस्त आरजी का बेचान अप्रार्थीगण को कर दिया है फिर भी प्रार्थी के बेचानशुदा खसरा नम्बरान को उक्त प्रार्थना पत्र में चेलेन्ज किया है जो गलत है। प्रार्थी का बेचानशुदा आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है फिर भी बदयान्ति पूर्वक खरीदशुदा आराजी को विवादित बताया है जो गलत है। प्रार्थी शुद्ध हस्त से प्रार्थना पत्र लेकर नही आया है जिसमें प्रार्थी की बदनियति साफ जाहिर होती है प्रार्थी उक्त वाद की आड में अच्छी आराजी पर कब्जा करना चाहता है जिसकी पूर्ति हेतु यह प्रार्थना पत्र झूठा न्यायालय श्रीमान में पेश किया है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 25.02.2015 को एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है उसे खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

उभय पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र निस्तारण के लिए इन्ग्रीडियेंश 01–प्रथम दृष्टया केस 02– सुविधा का सन्तुलन 03– अपूर्णिय क्षति का हवाला देकर अपनी अपनी बहस में अपने अपने पक्ष में प्रार्थना पत्र फैसल करने का निवेदन किया है।

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

-प्रथम दृष्टया केस : प्रार्थी के वकील ने वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 5 रकबा 0.12 है०, 836 रकबा 0.02 है०, 837 रकबा 0.54 है०, 838 रकबा 3 है०, 853 रकबा 2.80 है०, 854 रकबा 0.01 है०, गैर मु० बोरिंग 855 रकबा 30 है०, 857 रकबा 0.18 है०, 858 रकबा 0.15 है० कुल किता 9 रकबा 4.65 ० वाके ग्राम उमैरण तहसील व जिला अलवर में स्थित बताते हुए प्रार्थना पत्र पैरा संख्या–03 में अंकित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 853 रकबा .80 है० में से 27/112 दर 1/2 में से 3/4 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादनी संख्या–03 सुमन पत्नी मनोहर लाल गुर्जर को विक्रय किया जाना व खसरा म्बर 854 रकबा 0.01 है०, 855 रकबा 0.30 है०, 838 रकबा 0.53 है० किता 3 रकबा 0.84 है० में से अपना 1/2 हिस्सा में से 8/9 हिस्सा दर 1/2 हिस्से का बेचान तरतीबी प्रतिवादनी छोटा देवी पत्नी कैलाश गुर्जर उमरैण को किया जाना अंकित किया है।

उपरोक्त समस्त बेचान के बाद वर्तमान में वादी ने अपने हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 835 रकबा 0.12 है० 836 रकबा 0.02 है० 837 रकबा 0.54 है० किता 3 रकबा 0.68 है० में से 0.34 है० आराजी शेष बची हुई बतलाते हुए वादी का कब्जा काश्त होना बतलाया गया है।

प्रार्थी अपने पक्ष में आराजी खसरा नम्बर 835 रकबा 0.12 है० 836 रकबा 0.02 है० 837 रकबा 0.54 है० किता 3 रकबा 0.68 है० में से मात्र 0.34 है० पर कब्जा काश्त सिद्ध करने में सफल रहा है। शेष आराजी खसरा नम्बर 838 रकबा 0.53 है०, 853 रकबा 2.80 है०, 854 रकबा 0.01 है०, गैर मु० बोरिंग 855 रकबा 0.30 है०, 857 रकबा 0.18 है०, 858 रकबा 0.15 है० पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना पाया गया है। अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी केवल मात्र आराजी खसरा नम्बर 835 रकबा 0.12 है० 836 रकबा 0.02 है० 837 रकबा 0.54 है० कुल किता 3 कुल रकबा 0.68 है० में से रकबा 0.34 है० पर ही अपना कब्जा काश्त सिद्ध करने में सफल रहा है।

02– सुविधा का सन्तुलन : प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 835 रकबा 0.12 है०, 836 रकबा 0.02 है०, 837 रकबा 0.54 है०, 838 रकबा 0.53 है०, 853 रकबा 2.80 है०, 854 रकबा 0.01 है०, गैर मु० बोरिंग 855 रकबा 0.30 है०, 857 रकबा 0.18 है०, 858 रकबा 0.15 है० कुल किता 9 रकबा 4.65 है० वाके ग्राम उमैरण तहसील व जिला अलवर में समस्त बेचान के बाद वर्तमान में अपने हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 835 रकबा 0.12 है० 836 रकबा 0.02 है० 837 रकबा 0.54 है० किता 3 रकबा 0.68 है० में से 0.34 है० आराजी शेष बची हुई बतलाते हुए स्वयं का कब्जा काश्त होना बतलाते हुए प्रार्थी अपने पक्ष में आराजी खसरा नम्बर 835 रकबा 0.12 है० 836 रकबा 0.02 है० 837 रकबा

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

54 है० किता 3 रकबा 0.68 है० में से 0.34 है० पर अपना कब्जा काश्त ाबित करने में सफल रहा है। अतः सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में ाराजी खसरा नम्बर 835 रकबा 0.12 है० 836 रकबा 0.02 है० 837 रकबा .54 है० किता 3 रकबा 0.68 है० में से केवल मात्र 0.34 है० पर पाया जाता है।

03– अपूर्णिय क्षतिः प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 835 रकबा 0.12 है०, 836 रकबा 0.02 है०, 837 रकबा 0.54 है०, 838 रकबा 0.53 है०, 853 रकबा 2.80 है०, 854 रकबा 0.01 है०, गैर मु० बोरिंग 855 रकबा 0.30 है०, 857 रकबा 0.18 है०, 858 रकबा 0.15 है० कुल किता 9 रकबा 4.65 है० वाके ग्राम उमैरण तहसील व जिला अलवर में समस्त बेचान के बाद वर्तमान में अपने हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 835 रकबा 0.12 है० 836 रकबा 0.02 है० 837 रकबा 0.54 है० किता 3 रकबा 0.68 है० में से 0.34 है० आराजी शेष बची हुई बतलाते हुए उस पर स्वयं का कब्जा काश्त होना बतलाते हुए प्रार्थी अपने पक्ष में आराजी खसरा नम्बर 835 रकबा 0.12 है० 836 रकबा 0.02 है० 837 रकबा 0.54 है० किता 3 रकबा 0.68 है० में से 0.34 है० पर अपना कब्जा काश्त साबित करने में सफल रहा है।

यदि प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 835 रकबा 0.12 है० 836 रकबा 0.02 है० 837 रकबा 0.54 है० कुल किता 3 रकबा 0.68 है० में से रकबा 0.34 है० आराजी पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार की कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत करते है तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी। जिस कारण प्रार्थी अप्रार्थीगण को पाबन्द कराने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी अपूर्णिय क्षति को आराजी खसरा नम्बर 835 रकबा 0.12 है० 836 रकबा 0.02 है० 837 रकबा 0.54 है० कुल किता 3 रकबा 0.68 है० में से रकबा 0.34 है० पर सिद्ध करने में सफल रहा है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 एवं आदेश 39 नियम 1–2 के बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलत व अपूर्णिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर प्रार्थना पत्र संख्या 2/11 में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.02.15 में आंशिक संशोधन करते हुए आराजी हाल खसरा नम्बर 838 रकबा 0.53 है०, 853 रकबा 2.80 है०, 854 रकबा 0.01 है०, गैर मु० बोरिंग 855 रकबा 0.30 है०, 857 रकबा 0.18 है०, 858 रकबा 0.15 है० कुल किता 6 रकबा 3.97 है० वाके ग्राम उमैरण तहसील व जिला अलवर पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को वैकेट (Vacate) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 835 रकबा 0.12 है० 836

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

0.02 है० 837 रकबा 0.54 है० कुल किता 3 रकबा 0.68 है० के 1/2 वाके ग्राम उमरैण तहसील अलवर में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी तरह रुकावट व मजाहम ना करे तथा किसी विशेष हिस्से को रहन, बय, हिबे ना व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति ताफैसला वाद बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले यालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner